3/यो0स०व०-41/2023 - 92

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2026-27)

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 12.11.2026

विषय:- **वितीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना) के अधीन कार्यरत कर्मियों के मानदेय आदि के भुगतान हेतु राज्य स्कीम के तहत विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि (8000) से प्राप्त रू० 918.00 लाख (नौ करोड अठ्ठारह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत ।

समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 573 दिनांक 07.03.2023 द्वारा जरूरतमंद बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण हेतु उनके पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर सुरक्षा मजबूत करने, अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत करने एवं ढाँचों को सुदृढ बनाने तथा अन्य कल्याणार्थ मिशन वात्सलय योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना) संचालित है। वितीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना) के अधीन कार्यरत कर्मियों के मानदेय आदि के भुगतान हेतु राज्य स्कीम के तहत विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि (8000) से प्राप्त रू० 918.00 लाख (नौ करोड अठ्ठारह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	केन्द्रांश/ राज्यांश अनुपात	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
राज्य योजना						
1	मिशन वात्सल्य पर राज्य सरकार का अतिरिक्त व्यय	51-2235021020124	00:100	31.04	600.00	818.00
				31.06	200.00	100.00
कुल रू० (नौ करोड अठ्ठारह लाख)						**918.00**

2 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में उक्त योजना के राज्यांश मद की राशि को केन्द्रांश मद के अधीन उपबंधित है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026, 926/वि० दिनांक 31.07.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स0क0-41/2023 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-...28.../टि0 पर दिनांक-12.11.2026. को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स0क0-41/2023 के टिप्पणी पृष्ट संख्या- ..29..../टि0 पर दिनांक-12.11.2026..... को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-41/2023 - 92 पटना, दिनांक- 12.11.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-41/2023 - 92 पटना, दिनांक- 12.11.2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-41/2023 - 92 पटना, दिनांक- 12.11.2026

प्रतिलिपि–विभागीय आई०टी० मैनेजर,को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।